

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर।
पत्र संख्या-1409/33-1 दिनांक, भीरजापुर, दिसम्बर, 26, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,

पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर।

विषय:- जनपद सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन (नामाभि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र०) द्वारा पटवरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम-कनछ प्रस्तावित डब्ल्यू.टी.पी., पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण में प्रभावित 64325 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वाणिज्यीक प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पतन के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी. /यू०पी०/०8/263/2021/एफ.सी./481 दिनांक 04-02-2022, पृष्ठांकित पत्र मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-911/11-सी-एफ.पी./यू.पी./वाटर/119894/2021 दिनांक 08-09-2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 07-07-2022 में शर्त संख्या-4 एवं 22 के सम्बन्ध में वांछित विन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में वांछित विन्दुओं पर अनुपालन आख्या निम्नप्रकार है:-

क्र०सं०	विवरण	अनुपालन आख्या
1	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in name of forest department and notified as R/F/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	भाग०30 1927 की धारा-29 का प्रस्ताव विज्ञापित जारी किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1167/33-1 दिनांक 17-11-2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर के माध्यम से भेजा गया है। संलग्नक-01
2	Clearance of Standing Committee of National Board of Wild Life shall be submitted before the Final approval. No works shall be carried out in Forest land without approval of SCNBWL.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन) नई दिल्ली के पत्र संख्या-6-103/2022/डब्ल्यू.एल. दिनांक 03-11-2022 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। संलग्नक-02

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी,

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर।

संख्या-1409/33-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- तकनीकी सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी,

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या- 1167 / 33-1 दिनांक, मिर्जापुर, नवंबर 17, 2022.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव

पश्चिमी क्षेत्र, 30प्र0 कानपुर।

विषय: ग्राम सगरा, परगना कंति, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर क्षेत्रफल 8.6548 हे0 गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के प्रस्ताव का भेजा जाना।

महोदय,

ग्राम सगरा, परगना कंति, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर क्षेत्रफल 8.6548 हे0 गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 का प्रस्ताव तीन प्रतियों में समय-समय पर जारी चेकलिस्ट के अनुसार तैयार कर मय सी0डी0 सहित प्रेषित है। कृपया अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संगलनक:-प्रस्ताव की तीन प्रति मय सी0डी0 सहित।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर

संख्या- 1167 / 33-1 समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोवस्त 30प्र0 लखनऊ।
- 2- वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुरक-सोनभद्र।
- 3- क्षेत्रीय वन अधिकारी, हलिया-मिर्जापुर।

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर

F.No.6-103/2022 WL

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wildlife Division)

2nd Floor, Pritvi Wing,
Indira Prayakaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi 110003.

Date: 3 November, 2022

To,

The Principal Secretary,
Department of Environment & Forests,
Government of Uttar Pradesh,
17, Rana Pratap Marg,
Lucknow-226001.

Sub: Proposal for use of 6.4325 ha of forest land from Kaimur Wild Life Sanctuary for construction of intake Jackwell, laying of underground pipeline, 1.20 km, in length and construction of water treatment plant under Patwadi Group of Villages, Uttar Pradesh-FP/UP/WATER/119894/2021.

Sir,

Reference is invited to the subject mentioned above. The above proposal was discussed in the 70th Meeting of Standing Committee of National Board for Wild Life held on 13th October, 2022 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change.

2. After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

- i. The legal status of the land shall remain unchanged. The user agency will have right only for construction, maintenance and the land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
- ii. As forest land and trees standing over it are also involved in the project, Forest Clearance as per provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 will also be required and user agency will be required to comply all conditions stipulated in forest clearance under Forest (Conservation) Act 1980.
- iii. Net Present Value (N.P.V.) shall be paid by the User Agency as per directions issued by Ministry of Environment of Forest (FC Division), New Delhi vide letter No.F.No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 for proposed forest land 6.4325 ha. falling within the Kaimur sanctuary.

The user agency shall deposit a sum of Rs.180.00 lakh for mitigation measures to minimize the negative impact of the project on the habitat of wild life in the Kaimur sanctuary under online deposit head no.6- additional charges for protected area in CAMPA FUND, as per guidelines of Government

of India. This amount will be spent on the mitigation measures within the same protected area.

- v. The personnel of user agency working on the site should be well aware and shall be bound to follow the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972.
- vi. The user agency will ensure that no labour camp shall be established inside the sanctuary or any other sensitive area in its eco-sensitive zone. Neither firewood nor any other forest produce from the forest will be used.
- vii. The user agency will keep firefighting equipment as well as equipment for minimizing noise pollution and truck disposals at the site.
- viii. During the construction period, the user agency will establish one temporary forest check post along with the required manpower at its own cost.
- ix. User agency will fix sign board at appropriate point of the project.
- x. Construction waste materials/muck generated shall not be thrown inside the protected area or its eco-sensitive zone area or on the movement corridor of Wildlife.
- xi. User agency will take all precautions including technical measures to contain the noise and air pollution, protection from fire during execution of the construction activities and shall also obtain consent to operate the project work from U.P. Pollution Control Board, if required and effectively implement all the conditions stipulated therein.
- xii. The project proponent shall undertake plantation/afforestation work by planting 550 plants of native species in the buffer area of the sanctuary to compensate the felling of 55 trees during the construction of proposed work, for which necessary finance will be provided by the user agency as per the proposal put up by Divisional Forest Officer, Kaimur sanctuary, Mirzapur after approval of Chief Wild Life Warden.
- xiii. Blasting/Ammunition materials shall not be carried by user agency in Wildlife area.
- xiv. No work shall be allowed from sunset to sunrise.
- xv. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.
3. The minutes of the meeting have been posted online in the "PARIVESH" portal of this Ministry.

Yours faithfully,


(Dr. Sudheer Chintalapati)

Scientist E

Email: ddwlmef@gmail.com

Copy to:

1. Chief Wild Life Warden, Department of Environment & Forests, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow-226001.
2. Deputy Director General(C), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow-226020.
3. Inspector General of Forests, FC Division, MoEF&CC.
4. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC.


(Dr. Sudheer Chintalapati)
Scientist E,
Email: ddwlmeff@gmail.com

2011
Dr. Sudheer Chintalapati
Director General
Environment, Forest and
Climate Change

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या- 1167 / 33-1 दिनांक, मिर्जापुर, नवंबर 17, 2022.
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, 3090 कानपुर।

विषय: ग्राम सगरा, परगना कंतित, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर क्षेत्रफल 8.6548 हे0 गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के प्रस्ताव का भेजा जाना।

महोदय,

ग्राम सगरा, परगना कंतित, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर क्षेत्रफल 8.6548 हे0 गैर वन भूमि का भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 का प्रस्ताव तीन प्रतियों में समय-समय पर जारी चेकलिस्ट के अनुसार तैयार कर मय सी0डी0 सहित प्रेषित है। कृपया अग्रेतर कार्यावाही करने का कष्ट करें।

संगलगनक:-प्रस्ताव की तीन प्रति मय सी0डी0 सहित।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर

संख्या- 1167 / 33-1 समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोवस्त 3090 लखनऊ।
- 2- वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुरक-सोनभद्र।
- 3- क्षेत्रीय वन अधिकारी, हलिया-मिर्जापुर।

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नामांश गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर

पत्रांक: 1461 /W-17 (Patwadh-forest) /2021-22

दिनांक: 23 जुलाई, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

विषय:- जनपद सोनभद्र के कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नामांश गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उपप्र0) द्वारा पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम कनछ में प्रस्तावित WTP, पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण में प्रभावित 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैरवाणिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1. 8बी/यूपी0/08/263/2021/एफ0सी0/210 दिनांक-07.07.2022

2. 106/33/मीरजापुर, दिनांक-जुलाई, 12.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि पर गैर वाणिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (ई पेंमेंट-पोर्टल के माध्यम से जमा करे) रसीद, (ऑन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियाँ सहित आवष्टक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित हैं:-

शर्त सं.	शर्त का विवरण	शर्त का अनुपालन
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of over equivalent 6.4325 ha. non forest land in Gata No. 28/1M., Sagara Village, Halla Range, District Mirzapur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जनपद-मीरजापुर, तहसील-तालगांज परगना- कंतीत के ग्राम सगरा के आराजी नम्बर-28/1मी0 कुल 6.4325 हे0 गैर वन भूमि जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्ताक्षरित कर दी गई है जिसकी छतौनी संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में जनपद-मीरजापुर, तहसील-तालगांज, परगना-कंतीत के ग्राम सगरा के आराजी नम्बर-28/1मी0 के अन्तर्गत कुल 6.4325 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष के रख-रखाव हेतु 4493000 की धनराशि को फॉरेस्ट क्लियरेंस पोर्टल द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से उपप्र0

		कैम्पा आई०एफ०एस०सी० नं०-UBA/N0996335 खाता सं०-1509053119894099 में जमा कर दिया गया है, जिसका चालान एवं रसीद संलग्न है। (संलग्नक-3एवं4)
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act 1927. or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में धारा-4 का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु संबंधित मानचित्र प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर को प्रेषित किया गया है जो प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के स्तर से धारा-4 का प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में ₹0 44,93000.00 (चौबालिस लाख तिरानबे हजार मात्र) की धनराशि ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जमा कर दी गयी है जिसकी ऑनलाइन प्रति पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 6.4325 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (P.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में ₹0 3,08,04599 / -(तीन करोड़ आठ लाख चार हजार पंच सौ निन्यानबे मात्र) की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कर दी गयी है जिसकी ऑनलाइन प्रति पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-4)
7	Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)

	Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
8	User agency shall restrict the felling of trees to 55 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में ₹0 1265.00 (एक हजार दो सौ पैसेठ) का बैंक ड्रफ्ट की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-7)
9	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
10	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 का जिलाधिकारी, सोनमद द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-9)
11	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipeline the ground will be levelled.	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापालि/अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
14	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
15	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में सीमांकन कर दिया गया है।
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)

18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण की कोई आपत्ति नहीं है।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
21	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLM/MP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त संख्या-21 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 6.4325 हे0 प्रभागीय वनाधीकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर के नाम इस्तेमाल कर दी गयी है। (संलग्नक-02)
22	Clearance or Standing Committee of National Board of Wild Life shall be submitted before the Final approval. No works shall be carried out in Forest land without approval of SCNBWL. Also an undertaking needs to be submitted by User agency that if clearance of SCNBWL is not accorded, their alignment shall be changed to avoid Protected Area.	शर्त संख्या-22 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
23	The DFO shall certify that no plantation has been done in the proposed CA area in previous years as per FC Act guidelines, 1980.	शर्त संख्या-23 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर के स्तर से किया जाएगा।
24	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त संख्या-24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों के उल्लंघन न किये जाने सम्बन्धि वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
25	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त संख्या-25 के अनुपालन में वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
26	All the funds received from the user agency under the project shall be	शर्त संख्या-26 के अनुपालन में समस्त धनराशि

	transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से केवल कैम्पा फण्ड में हस्तांतरित/जमा कर दी गयी है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)
27	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त संख्या-27 के अनुपालन में आख्या आपके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ पर अपलोड कर दी जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों की बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय



(अंकुर बाजपेयी)

तकनीकी सलाहकार

प्रतिलिपि: अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, जनपद सोनमर।

तकनीकी सलाहकार

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:— जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवख ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व सैं वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर गानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-1 के अनुसार “वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेश्वर सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० कल मिगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

212089-2

उत्तरण खतीनी



उत्तरण क्रमांक : 21208920220719

ग्राम क्रमांक : 212089

ग्राम का नाम / परगना : सारा(कलित)

वहसील : लालाज

जनपद : पिबर्गुर

कसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)

भाग : 1

खता खतीनी क्रम संख्या	खतादार का नाम / निवास स्थान	भूमिक अधिकार का वर्ण	खतों के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतादार द्वारा देय भालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशु या उसका सारांश उन्नकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशु देने वाले अधिकारी का पद	दिप्पी	
1	2		3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 5-3-उ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

00460	बंजर //	28/1मि	13.1650	30/1मि	29.5560	31/1मि	10.5090	33/3मि	16.5550	33/5मि	4.5260	80/1मि	0.9480	447	957	1007मि	1099	1370/4मि	1460/3मि	1473/2	1491/1मि	1590/3	23/1534	28/1535	1512/2	0.1010
		बाद सं० विविध सन 2022 जिलाधिकारी मीरजापुर दि० 22/04/2022 उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शा०सं० 32/744एफ-1-2016-20(5)/ 2016 दि० 03/06/2016 का आदेशिक परिसर करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता 2016 (उ०प्र० अधिनियम सं०-8 सन 2012) की धारा 59 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त आवेद का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एफ-1-2020-20(5)/2016 दि० 60/07/2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी का प्रयोग करते हुए से प्रदीप्त कुमार लखनऊ जिलाधिकारी मीरजापुर संलग्न सूची के स्तंभ 6 में उल्लिखित भूमि को जो अब तक गाँव पंचायत / स्थानीय ग्राहिकारियों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने ग्राहिकार से लेता हूँ। आम. सारा वहसील लालाज अधिकार से लेता हूँ। आम. सारा वहसील लालाज मीरजापुर की श्रेणी 5(3)(ड) बंजर की आ०नं० 28/1मि० रकबा 2.2223 हे० भूमि को जब जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत वन भूमि के और वानिकी प्रयोग के बदले आम सभा की भूमि वन विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ के निर्देशन पर रखा जाता है। ह०र०क० 22/04/2022 बाद सं० विविध सन 2022 जिलाधिकारी मीरजापुर के 02.06.2022 उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 32/744 एफ-1-2016-20(5) /2016 दिनांक 03.06.2016 का आदेशिक परिसर करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8 सन 2012) की धारा 59 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55																								

श्रेणी क्रमांक 212089-2

कुल गाँव- एक आठ कुल क्षेत्रफल- सात सात दशमलव सात चार पाँच शून्य (हैकटेयर)						
कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये						
			18	77.7450	₹ 0.00	2
0						
द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या- 687/एक -1-2020-20(5) /2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिनिधित्व अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी, मिर्जापुर संलग्न गाँव पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्धन में निहित ए.पी. नगर से अपने अधिकार में लेता हूँ। ग्राम समस्त की श्रेणी 5-(3)(ड) बंजर के आगे 28/1 मि 0 रकबा 6.4325 हे 0 अर्जुनी के साथ 6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक गाँव पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्धन में निहित है। 18.07.2022						

Data Digitally Signed by: Brahmdev Dubey



उपरोक्त उत्तरण खतीनी का वैधित्विकरण http://upbhuilekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

भारी कम्प्लेक्स

२० का १०-२०२२

सहस्र अधिकारी: PREETI SHARMA
तहसील: गजगंज जनापद: मिर्जापुर
दिनांक एवं समय: 19-07-2022 03:58:02
यह उत्तरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-07-2022

Agency Name.	STATE WATER AND SANITATION MISSION NAMAMI GANGE AND RURAL WATER SUPPLY DEPARTMENT UP GOVERNMENT
Application No.	53119894099
MoE/ISG File No.	8B/UP/08/263/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	6 Rana Pratap Marg UP Jal Nilgam Compound Lucknow
Amount(in Rs)	35297599/-

Amount in Words : Three Crore Fifty-Two Lakh Ninety-Seven
Thousand Five Hundred and Ninety-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509053119894099 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-07-2022

Agency Name.	STATE WATER AND SANITATION MISSION NAMAMI GANGE AND RURAL WATER SUPPLY DEPARTMENT UP GOVERNMENT
Application No.	53119894099
MoE/ISG File No.	8B/UP/08/263/2021/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	6 Rana Pratap Marg UP Jal Nilgam Compound Lucknow
Amount(in Rs)	35297599/-

Amount in Words : Three Crore Fifty-Two Lakh Ninety-Seven
Thousand Five Hundred and Ninety-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509053119894099 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

UTR Inquiry

Message Type
UTR Number

O-Output

PUNRR52022072514007041

Pays ID

R-R165

UTR Ref No	000297504516
PO Ref No	001715357381
Trans Date	25-07-2022
Service ID	NCP
Service Type	OUTWARD
Trans Type	TRANSFER
Remitter Account	029400010126176
Remitter Name	JAL JEEVAN MISSION UTTAR PRADE
Remitter F SC	PUNRR0029400
Beneficiary Acc	1509053118894709
Beneficiary Name	UTTAR PRADESH CAMPA
Beneficiary F SC	UBRR0096335
Trans Amount	35297599.00
Instrument Type	CND
Instrument Number	765629
Instrument Alias	WAS

Instrument Date
Charge Amount
Trans ID
Trans Remarks
Trans Particular
Message Status
PO Status
Remittance Remarks 1
Remittance Remarks 2
Remittance Remarks 3
Remittance Remarks 4
Remittance Remarks 5
Remittance Remarks 6
Return UTR
Effect Code / Desc

23-07-2022 00:00:00
412
SA7726653
001715357381029400
NRTGSPUNRR52022072514832041U
PROCESSED
PROCESSED

412-705-1



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

हर घर जल
जल जीवन मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, मल्टी परपज हाल,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक- ¹⁴⁸³ / W-17 (Parwadh Forest Land)

दिनांक: अगस्त, 2022

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
सोनभद्र।

विशय:- पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत पाइप लाइन एवं वाटर ट्रिटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल का निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन की नोट प्रोजेक्ट वैल्यू NPB के मुग़तान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 2425 / W-4/164 दिनांक 21.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र की पटवध ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु वाटर ट्रिटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल का निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पातन के दृष्टिगत Uttar Pradesh CAMPA के पक्ष में धनराशि रु० 35297599.00 का मुग़तान अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मुग़तान UTR No. PUNBR52022072514832041 25-07-2022 निम्न विवरणानुसार RTGS के माध्यम से कर दिया गया है:-

Division Name	Compensatory Afforestation	NPV	Total
Kaimur Wildlife Division, Mirzapur	4493000.00	30804599.00	35297599.00

UTR की छायाप्रति संलग्न है, अतः आपसे अनुरोध है उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जय प्रकाश)

सहायक लेखाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र।

सहायक लेखाधिकारी

01.08.2022

Executive Engineer

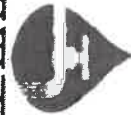
TO WHOM IT MAY CONCERN,

Amount	Rs. 35297599.00
Date	25.07.2022
UTR No	PUNBRS2022072514832041
Beneficiary	Uttar Pradesh Campa
Sender	Jai Jeevan Mission U.P

मुख्य प्रमुख प्रमुख बैंक
For Punjab National Bank
Chief manager
मुख्य प्रमुख / Chief Manager
प्रमुख, नगर/Head Office, U.P.


(JAI PRAKASH)
AOHR
State Water & Sanitation Mission
A.M.W. (U.P.)

प्रमुख कार्यालय : प्लॉट नं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110076 • टेलीफोन : 011-26078000, 28048000 • ईमेल : www.pnbndia.in
Head Office : Plot No.-4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110076 • Telephones : 011-26078000, 28048000 • Website : www.pnbndia.in
द्वारा प्रेषित कि वो सिंगल 24 घंटे सर्वोत्तम सेवा के साथ साथ है Punjab National Bank welcomes you to toll free 24 hours call center : 1800 120 2222/1800 180 2222



हर घर जल
जल जीवन मिशन

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, मल्ली परपज हाल,
विष्णुति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक- **1483** / W-17 (Patwadh Forest Land)

दिनांक: **25** जुलाई, 2022

सेवा में,
अधिकासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
सोनभद्र ।

विषय:- पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना अन्तर्गत पाइप लाइन एवं वाटर ट्रिटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल का निर्माण हेतु कैभूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पतन की नेट प्रोजेक्ट वैल्यू NPB के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 2425/W-4/164 दिनांक 21.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र की पटवध ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु वाटर ट्रिटमेंट प्लांट पाइप लाइन तथा जैकवेल का निर्माण हेतु कैभूर वन्य जीव विहार के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 55 वृक्षों के पतन के दृष्टिगत Uttar Pradesh CAMPA के पक्ष में धनराशि रू० 35297599.00 का भुगतान अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त भुगतान निम्न विवरणानुसार RTGS के माध्यम से कर दिया गया है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	भुगतान का विवरण	
		यूटीआर सं०/पीओएस दिनांक एवं	धनराशि (रू०)
1	पटवध ग्राम पेयजल योजनाओं	PUNBR52022072514832041 25-07-2022	35297599.00

UTR की छायाप्रति संलग्न है, अतः आपसे अनुरोध है उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र ।

सहायक लेखाधिकारी

भवदीय,
(जय प्रकाश)
2022

(Proposal Number -- FP/UP/Water/ 119894/2021)



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
राकनीकी सलाहकार
(हिंदी वर्ग-3)
८

मागझाफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: VECDEN
Sr. No. 836346

.....MIRZAPUR.....

10109952

2004-03-09
 RAHIL PILLAY 00002
 Name of Applicant

Key: VECDEN
JETTIBOVIN
Sr. No: 836940

AMOUNT BELOW 1266(0/4)
AO

आदा करें

4

1265.00

या उनके आदेश पर
OR ORDER

2	5	0	7	2	0	2	9
D	D	M	M	Y	Y	2	2

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

STATE BANK OF INDIA
आंतराष्ट्रीय बैंक / DRAM

0015 क. / ड्राव्ही ब्रान्च: मिरजापुर
/ CODE No. 00134

कंप्यूटर द्वारा सुरक्षित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED
कंप्यूटर 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

WALDO FOR 3 MONTHS ONLY

* १,६७,०००-रुपये अधिक क लियत या अधिकायां द्वारा रस्ताधारित होने पर भी वैध है ।
INSTRUMENTS AND DEEDS ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OR MORE

**TOOTH SERVICE
BRANCH MANAGER**

BRANCH MANAGER

1

2

62

1

4

1

2

or

2

31

10

27

10

1

1

69 "2500 :10020000 "20008"

16, 1991

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

(महेश्वर सिंग)



(अङ्क १५ पर्यन्त)

2019-2020

FORM-II

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector Sonbhadra

No. 136/अ०.सि०-न०.सि०/2022-23

Date 27.07.2022

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In Compliance of the Rule 6(3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014 and forest (Conservation) Amendment Rules 2016] It is certified that 6.4325 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of State Water and Sanitation Mission, Lucknow for Construction of INTAKE WELL, WTP and RAW Water Pipe Line under **Patwadh Group Of Villages Water Supply Scheme**, the Area falls within the jurisdiction in **Village-Kanach, Tehsil- Obra, Distict- Sonebhadra**, It is further certified that.

- The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for entire **6.4325 hectares of forest land** proposed for diversion, A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s). Sub Division level committee(s) and the District level Committee are enclosed as Gram Panchayat/Sabha to sub division level committee.
- The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, vernacular local language) have been placed before concerned **Gram Panchayat/Sabha Kanach to Sub division level committee Tehsil Obra District Sonbhadra**.
- The concerned **Gram Panchayat/Sabha Kanach** has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures if any having understood the propose and details of proposed diversion copies of certificate issued by the Gram Sabha of Kanach Village of is enclosed as attachment.
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Panchayat/Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Panchayat/Sabha Kanach have given their consent to it.
- The rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per Section 3(1) of the FRA, 2006

Encl: As above

District Magistrate
Sonbhadra

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में
जिला स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 26.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वानिकी प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को एवं उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा दिनांक- 25.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दोनों समितियों द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी अधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
भिर्जापुर

जिलाधिकारी
सोनभद्र

2012-2013
गुप्त
प्रमाणित
दिनांक 16/06/2013

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 25.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

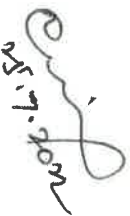
बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर गानिकी प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर गानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यूटी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर गानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर गानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


सदस्य
सहायक विकास अधिकारी
(समाज कल्याण),
सोनभद्र।


सदस्य
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
गुप्त-संख्या-चोपन


अध्यक्ष
उप जिलाकारी,
ओबरा-सोनभद्र।

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में
उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 25.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वानिकी प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

सदस्य

सहायक विकास अधिकारी
(समाज कल्याण),
सोनभद्र।

सदस्य

क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य-जीव विभाग
गुर्मापुर रेंज, सोनभद्र

अध्यक्ष

उप जिलाकारी,
ओबरा-सोनभद्र।

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 25.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वानिकी प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रॉ-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

सदस्य
सहायक विकास अधिकारी
(समाज कल्याण).
सोनभद्र।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
गुर्मा- रेंज सोनभद्र

अध्यक्ष
उप जिलाकारी,
ओबरा-सोनभद्र।

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में
उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक की कार्यवृत्त

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम- कनछ के आराजी संख्या 4ग व 1मी रकबा 6.4325 हे0 वन भूमि पर इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति के बैठक आज दिनांक- 25.07.2022 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहुत की गयी है।

बैठक में ग्राम-कनछ, विकास खण्ड- चोपन, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र के कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर निर्माणाधीन पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए गैर वाणिजिक प्रयोग हेतु विचार किया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम वनाधिकारी समिति द्वारा दिनांक- 24.07.2022 को बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परियोजना के पक्ष में उक्त वन भूमि के गैर वाणिजिक प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

EXCUTING EMPLOYEES

अतः उक्त के आलोक में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम- कनछ, विकास खण्ड-चोपन, तहसील- ओबरा, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आराजी संख्या 4ग क्षेत्रफल 6.400 हे0 तथा आराजी संख्या- 1मी क्षेत्रफल 0.0325 हे0 कुल क्षेत्रफल 6.4325 हे0 वन भूमि पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा संचालित "जल जीवन मिशन" अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में इंटेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 व रैं-वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित सुरक्षित वन भूमि में गैर वाणिजिक प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैर वाणिजिक प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

सदस्य
सहायक विकास अधिकारी
(समाज कल्याण),
सोनभद्र।

सदस्य
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव विहार
गुर्मा- रेंज सोनभद्र

अध्यक्ष
उप जिलाकारी,
ओबरा-सोनभद्र।

रूप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

[illegible]

नोट : प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।।

रूप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

दिनांक	अस्थित पंथों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	अस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5
	२०११-१२ ५/७ अंतःसम		उत्पन्न रक्का कि उत्तर में जाना के लिए वन विभाग की भूमि नमासी उज्जि को जाना न। इसका कि लिख दे दिया जाये। लिखि अन्तःसमाप्ति एवं अनुमानित व अन्य परंपरागत वन निमित्तों च उ का कब्जा नही है तथा उनके अधिकार संबंधी उत्पन्न लेखित नही है और नही मिली के द्वारा अतः उत्तर उत्तर कर्तव्य के द्वारा (५/१०/२१) आ. नं। दि. १०-०३-२५ ई. व ११/१०-१०-०० ई मुख्य २ आ. कर्त्ता ६-५३२५ ई भूमि पर आधिकार संबंधी उत्पन्न उत्तर किम द्वारा उत्पन्न आ. ५३३ लिखि को उत्तर का अधिकार सापि के द्वारा लिखि नो उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर पादने किमा उत्तर उत्तर सापि उत्तर उत्तर उत्तर वन भूमि व नो की भूमि के उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर जानिमी उत्पन्न उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर की उत्पन्न है। वन अधिकार सापि के उत्तर उत्तर की अनुमानित उत्तर उत्तर की वत्तक उत्तर उत्तर की उत्पन्न है।	
	२०१२-१३ ५/१० अंतःसम			
	२०१३-१४ ५/१० अंतःसम			
	२०१४-१५ ५/१० अंतःसम			
	२०१५-१६ ५/१० अंतःसम			
	२०१६-१७ ५/१० अंतःसम			
	२०१७-१८ ५/१० अंतःसम			
	२०१८-१९ ५/१० अंतःसम			
	२०१९-२० ५/१० अंतःसम			
	२०२०-२१ ५/१० अंतःसम			

नोट : प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यू0टी0पी0/इंटेकवेल व रैं वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-11 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्इप लार्इन को 1.5 मी0 नीचे बिछाया जाएगा और पार्इप लार्इन झालने के बाद जमीन को समतल किया जाएगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।

(हस्ताक्षर)

(महेश्वर सिंह)

अधिसूचि अभियन्ता

वृष्ट कर्मालय, 30 प्रो कल निगम (प्रार्थीन)

सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)

तकनीकी सलाहकार

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन



वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व सैं वाटर राइजिंग मेंन के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-13 के अनुसार “प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।

(हस्ताक्षर)

(महेश्वर सिंह)

अधिरासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, 00 प्र0 क्व निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)

तकनीकी सलाहकार

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन



वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर क्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व सैं वाटर साइजिंग में निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-14 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WTP, पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण के दौरान कार्यरत श्रमिकों हेतु वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महैन्द्र सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, 30 प्र० कल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(शैकुं बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

कह ललक १२३६ ६२६

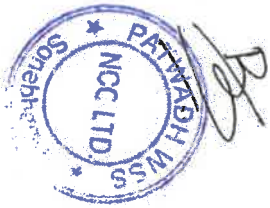
विषय:— जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यू0टी0पी0 /इंटेकवेल व रॉॅं वाटर राइजिंग मेंन के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी
गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं० — 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के
बिन्दु संख्या-15 के अनुसार “प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WTP, पाइप लाइन एवं जैकवेल निर्माण
के दौरान कार्यारत श्रमिकों हटु पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अन्य वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों
को उपलब्ध कराया जाएगा” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।


 (महेन्द्र सिंह)
 अधिवासी अभियन्ता
 छाह कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
 सोनबख

(अँकुर बाजणपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पैयजल एवं स्वच्छता मिशन



वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवथ ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व सैं वाटर साइजिंग में निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-17 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधिसारी अभियन्ता
खण्ड स्थापना, 30 प्र0 क्ल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:— जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व रैं वाटर राइजिंग में के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-19 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य / प्रयोजन हेतु प्रभावित वन भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
छात्र कक्षा, 30 प्र० कला निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, भीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यू0टी0पी0/इंटेकवेल व सैं वाटर साइजिंग मेंन के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FR/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07/07/2022 के बिन्दु संख्या-20 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिती में अन्य किसी भी विभाग, व्यक्ति अथवा संस्था को भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जायेगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेश्वर सिंह)
अधिसूचि अधिकारी
खण्ड कार्यालय, 30 प्र0 वन निगम (प्रमाण)
सोनभद्र

(अश्विनी बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:— जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व सैं वाटर राइजिंग मेंन के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबन्धी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-22 के अनुसार “प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति के बगैर कोई भी कार्य अरम्भ नहीं की जायेगी तथा संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमति / स्वीकृति न मिलने पर WTP, पाइप लाइन एवं जैकवेल के संरेखण को बदल कर गैर संरक्षित क्षेत्र में किया जाएगा” के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधिकासी अभियन्ता
छह कर्मस्थ, 50 प्रो जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्ल्यूटी0पी0/इंटेकवेल व रॉ वाटर राइजिंग मेंन के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर गानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07/07/2022 के बिन्दु संख्या-24 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशानिर्देश एफ0सं0 11-42/2017-एफ0सी0/1071 दिनांक-29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(**परमेश्वर सिंह**)

अधिसूचारी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, 30 प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(**अंकुर बाजपेई**)

तकनीकी सलाहकार

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

विषय:- जनपद सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना में डब्यू0टी0पी0/इंटेकवेल व सैं वाटर राइजिंग मेंन के निर्माण हेतु कुल 6.4325 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव

(Proposal Number – FP/UP/Water/119894/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सं0 – 8B/UP/08/263/2021/FC/210 दिनांक-07 / 07 / 2022 के बिन्दु संख्या-25 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिये समय समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा" के अनुपालन की वचन बद्धता दी जाती है।



(महेन्द्र सिंह)
अधिसारी अभियन्ता
खण्ड कर्मचारी, 30 प्र० प्ल निगम (ग्रामीण)
सोनभद्र

(अँकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन